भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1731

(जिसका उत्तर सोमवार, 31 जुलाई, 2023/9 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि

1731. श्री शिशिर कुमार अधिकारीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) से दावेदारों को अदत्त/अदावाकृत राशि के संवितरण के लिए कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास उपलब्ध अदत्त धनराशि का ब्यौरा क्या है और विगत दस वर्षों के दौरान ऐसे अदावाकृत लाभांश वाले संगठनों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा निवेशकों को धन लौटाने के लिए धनराशि की निकासी हेतु क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ग): जी, हां। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और 125 के अनुसार, शेयर, अदावाकृत लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर, रिफंड के लिए देय आवेदन राशि, या उस पर ब्याज, आंशिक शेयरों की बिक्री आय, वरीय शेयरों की मोचन आय आदि, जो 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दावा नहीं किए गए हैं, उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा और उसे बाद में निवेशकों द्वारा प्राधिकरण की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध प्ररूप आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन जमा करके प्राधिकरण से इसका दावा किया जा सकता है।

(ख): पिछले 10 वर्षों से सरकार के पास (आईईपीएफ के अंतर्गत) अदावाकृत निधियां अनुलग्नक-I में दी गई हैं। पिछले 10 वर्षों के लिए एमसीए-21 के अनुसार 5आईएनवी/ईपीएफ2 के अंतर्गत फाइल करने से उपलब्ध अदावाकृत लाभांश वाली कंपनियों की संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

<u>लोक सभा के दिनांक 31.07.2023 के अतारांकित प्रश्न सं. 1731 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक -I</u>

<u>पिछले 10 वर्षों में आईईपीएफ के पास लंबित अदावाकृत राशि का विवरण</u>

वर्ष	आईईपीएफ के पास अदावाकृत राशि (करोड़ रुपये में)
2013-14	883.31
2014-15	1,144.87
2015-16	1,368.29
2016-17	1,673.20
2017-18	2,016.72
2018-19	2,423.19
2019-20	4,310.36
2020-21	4,816.03
2021-22	5,262.25
2022-23*	5,714.51

*अलेखापरीक्षित अनंतिम आंकड़ा

*****

अनुलग्नक-II

<u>लोक सभा के दिनांक 31.07.2023 के अतारांकित प्रश्न सं. 1731 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक -II</u>

<u>उन कंपनियों की संख्या जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से दावा न किए गए लाभांश की पहचान करने वाला ई-प्ररूप 5 आईएनवी और/या प्ररूप संख्या 2 फाइल किया है</u>

वर्ष	कंपनियों की संख्या
2013-14*	239
2014-15*	315
2015-16*	305
2016-17#	380
2017-18$	1718
2018-19$	122
2019-20$	1795
2020-21$	1753
2021-22$	1768
2022-23$	1763

*एमसीए 21 पर ईप्ररूप 5 आईएनवी फाइल करने के अनुसार। ईप्ररूप 5 आईएनवी दिनांक 10 मई, 2012 की सा.का.नि.352(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया था।

एमसीए21 पर ईप्ररूप 5 आईएनवी और प्ररूप संख्या आईईपीएफ-2 फाइल करने के अनुसार। प्ररूप संख्या आईईपीएफ-2 को दिनांक 5 सितंबर 2016 को सा.का.नि.854(अ) के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

$ एमसीए21 पर प्ररूप संख्या आईईपीएफ-2 फाइल करने के अनुसार

*****